कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य जिला धार मध्यप्रदेश

(Phone (☏) 07292-232030 (🖷) Fax 223466 (Email : ac.exam.dhar@gmail.com)

धार दिनांक

क्र./ वि.संस्था /2025/

-:आदेश:-

कार्यालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/NESTS/NESTS-Circulars/129/2025-26 दिनांक 09.10.2025 अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्रभावी प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुचारु संचालन हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में ईएमआरएस प्रबंधन समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों की ईएमआरएस प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	पद नाम	पदेन जिला स्तरीय समिति
1	जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3	कार्यपालन यंत्री परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लोक निर्माण विभाग) जिला धार	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5	उप प्रधानाचार्य/विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक	सदस्य
6	जिला जनजातीय कार्य अधिकारी/पीओ/एपीओ/आईटीडीपी (प्रशासकीय अनुमति के पश्चात)	सदस्य
7	निकटवर्ती राज्य माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य
8	अभिभावकों के दो प्रतिनिधि (1 पुरुष, 1 महिला)	सदस्य
9	संबंधित ईएमआरएस के प्राचार्य	सदस्य सचिव

समिति की कार्यप्रणाली एवं शक्तियाँ:

1. विद्यालय को आवंटित धनराशि के व्यय पर नियंत्रण तथा सत्यापन सुनिश्चित करना।
2. वार्षिक बजट का अनुमोदन तथा प्रस्तावित व्यय की जाँच।
3. विद्यालय की समग्र कार्यप्रणाली की निगरानी एवं अनुशासन बनाए रखना।
4. विद्यालय संचालन का पर्यवेक्षण एवं समुचित सुझाव देना।
5. छात्रावास और छात्रों के समग्र कल्याण का निरीक्षण।
6. आवश्यकतानुसार विशेष बैठकों का आयोजन।
7. संचालन में सुधार हेतु सुझाव एवं सहायता प्रदान करना।
8. विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा एवं अनुमोदन।

यह समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगी एवं आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है।

(यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।)

कलेक्टर
जिला धार मध्यप्रदेश